निदेशालय आयुर्वेद
हिमाचल प्रदेश

संख्याः आर्यु0एच0(बी) (2)–3/95 दिनांक, शिमला–9

सेवा में,

श्री सतीश कुमार,
गांव व डा0 कडोआ,
तहसील देहरा, जिला कांगडा
हिमाचल प्रदेश ।

विषय : श्रीमति राम प्यारी दाई के विरूद्व शिकायत बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य जो अनुभाग अधिकारी, प्रधान मन्त्री कार्यालय के माध्यम से इस निदेशालय को प्राप्त हुआ है, के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि श्रीमति राम प्यारी को दाई के पद पर नियुक्ति करूणामूलक आधार पर नहीं वल्कि कर्मचारी का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया गया है । अतः श्रीमति राम प्यारी के विरूद्व विधवा न होने के आधार पर शिकायत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता तथा जहां तक दूसरी शादी करने का सवाल है, ग्प्रम पंचायत कड़ोआ के अभिलेख के अनुसार श्रीमति राम प्यारी पत्नी स्वर्गीय श्री किशोरी लाल की दूसरी शादी, मुताबिक पंचायत विवाह रजिस्ट्रर नहीं हुई है । उसने पंचायत या कोर्ट में कानूनी तौर पर शादी नहीं की है।

इसके अतिरिक्त श्रीमति राम प्यारी दाई द्वारा अपने ससुर श्री सवा राम से जमीन खरीदने, पैसे देने व वसीयत सम्बन्धि मामला उनका घरेलू है, जो विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

निदेशक आयुर्वेद
हिमाचल प्रदेश

पृष्ठाकंन संख्या : यथोपरि 17070 दिनांक शिमला–9 08/09/16

प्रतिलिपि

डाटा ऑपरेटर, निदेशालय आयुर्वेद को इस निर्देश के साथ कि इस सूचना को पोर्टल में अपलोड करें ।

निदेशक आयुर्वेद
हिमाचल प्रदेश